ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The DGM
JMS MINING PRIVATE LIMITED
Dongfang Electric Building, 3rd Floor, Premises No. 16, MAR 1111, Action Area 1A, New Town, Rajarhat, Kolkata -700156

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/CMIN/402132/2022 dated 08 Dec 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP136211**
2.	**File No.**	9522/2022
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Urtan North Coal Block (Normative Capacity: 0.6 MTPA, PRC: 0.90 MTPA) & Integrated Coal Washery (2.0 MTPA)
7.	**Name of Company/Organization**	JMS MINING PRIVATE LIMITED
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 28/03/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/402132/2022- प्रकरण क्र 9522/2022 **परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए. आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन नोर्थ अंडरग्राउण्ड कोयला खदान मय इंटीग्रेटेड कोल वॉशरी (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6000 एम.टी.पी.ए., पी.आर.सी. – 0.90 एम.टी.पी.ए, कोल वॉशरी 2.0 एम.टी.पी.ए., रकबा 475 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्नलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/402132/2022** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 14.12.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 2196 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको संसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल अनूपपुर के पत्र क्र. 1630 दिनांक 27.07.2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के कुल रकबा 475 हेक्टेयर में से 6.92 हेक्टेयर रकबा बीट कल्याणपुर के वन कक्ष क्र. पीएफ 430 के अंदर होना बताया गया है एवं शेष रकबा वन क्षेत्र के बाहर है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 23°14’38.208” से 23°16’22.485’ और देशांतर 81°58’57.544” से 81°59’58.637” भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 776वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 615वी बैठक दिनांक 30.12.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए.आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन नोर्थ अंडरग्राउण्ड कोयला खदान मय इंटीग्रेटेड कोल वॉशरी (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6000 एम.टी. पी.ए., पी.आर. सी. – 0.90 एम.टी.पी.ए, कोल वॉशरी 2.0 एम.टी.पी.ए., रकबा 475 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी तहसील कोतमा, जिला

अनूपपुर (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम नं. IA3-22/28/2022-1A.111(E 181584) दिनांक 13.12.2022 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24.03.2023 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता का पूर्णतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य लीज अनुबंध निष्पादन के उपरांत ही किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6.92 हेक्टेयर वन भूमि में खनन उद्देश्य के लिये डायवर्सन हेतु आवेदन (Vide FP/MP/MIN/144859/2021) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Stage I & II) प्राप्त होने तक फारेस्ट एरिया में किसी भी प्रकार की गतिविधि किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. कोल क्रशिंग यूनिट और वाशरी यूनिट के हॉपर में उच्च दक्षता वाले (high efficiency) वाले बैग फिल्टर लगाया जाना सुनिश्चित करे, परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल माईनिंग एवं कोल वॉशरी के प्रदूषणकारी स्थानों पर जल, वायु, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि की गुणवत्ता का निरंतर आकलन किये जाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट की स्थापना की जाये।
7. कोयला खनन प्रक्रिया से उत्पन्न कोलबेड मिथेन का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में इस वातावरण में सीधे न छोड़ा जाये।
8. कोयला खदान एवं घरेलू व अन्य कारणों से उत्पन्न दूषित जल का निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार कर अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये, जिसमें जल की गुणवत्ता अनुसार हैवी मेटल्स के उपचार की भी समुचित व्यवस्था हो।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 19.07.22 में भूजल निकासी के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही जल दोहन किया जावे।
11. कच्चे कोयले की मात्रा और राख की मात्रा, और Washing के प्रत्येक बैच से उत्पादित स्वच्छ कोयले और कोयले के रिजेक्ट का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जावे।
12. कच्चे कोयले और Washed कोयले में भारी धातु की मात्रा (Heavy Metal) का विश्लेषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से किया जाये।

13. कच्चा कोयला, धुला हुआ कोयला और कोयले का Wastes (Rejects) पक्का स्टॉकयार्ड के अंदर चिन्हित स्थल (Earmarked साइट) जो की विंड ब्रेकर/शील्ड सुविधायुक्त हो में भंड़ारण किया जावे। परियोजना प्रस्तावक सुनिश्चित करें भंडारित खनिज के स्थान पर आग से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हों।

14. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं Global Warming Potential वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाये।

15. पानी को Close Circuit System में उपयोग उपरांत Re-circulate कर पर्याप्तः मात्रा में Chemical मिलाकर पुनः उपयोग में लाये। किसी भी परिस्थिती में कोयला धुलाई हेतु उपयोग किये जा रहे जल की मात्रा 1500 लीटर प्रतिटन से अधिक नहीं होना चाहिए।

16. प्रदूषण के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करे कोयला भंडारण क्षेत्र, Crushing Units और Rejects Storage एरिया गांवों एवं कृषि भूमि के पास इतनी दूरी पर स्थापित हो, जिससे आस पास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या ना हो।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Green Mining Concept को जहां तक हो सके कोल माईनिंग के Process में लागू किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में SEAC ,द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ–साथ अतिरिक्त सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का भी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

21. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

22. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

24. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

28. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

37. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

38. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

40. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

43. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, ज़ब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

44. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

I. Statutory Compliance:

45. The Environmental clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and any other Court of Law, from time to time and as applicable to the project

46. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

47. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

48. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The

recommendations of the approved Site- Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report.

49. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

50. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority.

51. Solid waste/hazardous waste generated in the mines need to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016/Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016

II. Air quality monitoring and preservation

52. Continuous ambient air quality monitoring stations (minimum two) shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates, SO2 and NO,. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the State Pollution Control Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd,Cr,*etc.*to be carried out at least once in six months. Online ambient air quality monitoring station/stations may also be installed in addition to the regular air monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB

53. The Ambient Air Quality monitoring in the core zone shall be carried out to ensure the Coal Industry Standards notified vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. Data on ambient air quality and heavy metals such as Hg,As,Ni,Cd,Cr and other monitoring data shall be regularly reported to the Ministry/Regional Office and to the CPCB/SPCB.

54. Transportation of coal, to the extent permitted by road, shall be carried out by covered trucks/conveyors. Effective control measures such as regular water sprinkling/rain gun/ mist sprinkling etc., shall be carried out in critical areas prone to air pollution with higher level of particulate matter all through the coal transport roads, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled regularly. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.

55. Major approach roads shall be black topped and properly maintained.

56. The transportation of coal shall be carried out as per the provisions and route proposed in the approved mining plan. Transportation of the coal through the existing road passing through any village shall be avoided. In case, it is proposed to construct a 'bypass' road, it should be so constructed that the impact of sound, dust and accidents could be appropriately mitigated.

57. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. All the vehicles engaged in mining and allied activities shall operate only after obtaining 'PUC' certificate from the authorized pollution testing centers.

58. Coal stock pile/crusher/feeder and breaker material transfer points shall invariably be provided with dust suppression system. Belt-conveyors shall be fully covered to avoid air borne dust. Side cladding all along the conveyor gantry should be made to avoid air borne dust. Drills shall be wet operated or fitted with dust extractors.

59. Coal handling plant shall be operated with effective control measures w.r.t. various environmental parameters. Environmental friendly sustainable technology should be implemented for mitigating such parameters.

III. Water quality monitoring and preservation

60. The effluent discharge (mine wastewater, workshop effluent) shall be monitored inters of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards videGSR742(E)dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.

61. The monitoring data shall be uploaded on the company's web site and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.II(M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for its compliance.

62. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.

63. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

64. Ground water, excluding mine water, shall not be used for mining operations. Rainwater harvesting shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources.

65. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/mullah flowing nearer adjacent tithe mine. The embankment constructed along the river/mullah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side, stabilized with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of mine inundation.

66. Garland drains (of suitable size, gradient and length)around the critical areas i.e. mine shaft and low lying areas, shall be designed keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge

in the area adjoining the mine sites. The sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff

67. The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desalted particularly after monsoon and maintained properly.

68. Industrial waste water from coal handling plant and mine water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluent. Sewage treatment plant of adequate capacity shall be installed for treatment of domestic waste water.

69. Adequate ground water recharge measures shall be taken up for augmentation of ground water. The project authorities shall meet water requirement of nearby village(s) in case the village wells go dry due to dewatering of mine.

70. The surface drainage plan including surface water conservation plan for the area of influence affected by the said mining operations shall be prepared, considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc., with impact of mining activities on it, and implemented by the project proponent. The surface drainage plan and/or any diversion of natural water courses shall be as per the provisions of the approved Mining Plan/ EIA-EMP submitted to this Ministry and the same should be done with due approval of the concerned State/GoI Authority. The construction of embankment to prevent any danger against in rush of surface water into the mine should be as per the approved mining plan and as per the permission of DGMS.

71. The project proponent shall take all precautionary measures to ensure reverian/riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A revarian /riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation/ water resource department in the state government.

IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

72. Adequate measures shall be taken for control of noise levels below 85 dB(A) in the work environment. Workers engaged in underground mining operations, operation of HEMM, etc. shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs inconformity with the prescribed norms/guidelines in this regard. Progress in usage of such accessories to be monitored. Adequate awareness programme for users to be conducted.

73. The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

V. Mining plan

74. Mining shall be carried out under strict adherence to provisions of the Mines Act 1952 and subordinate legislations made there-under as applicable.

75. No change in mining method *i.e.* UG to OC, calendar programme and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC).

76. Mining shall be carried out as per the approved mining plan (including mine closure plan) abiding by mining laws related to coal mining and the relevant circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS).

77. Under groundwork place environmental conditions shall be rendered ergonomic and air breathable with adequate illumination in conformance with DGMS standards.

78. No mining activity shall be carried out in forest land without obtaining Forestry Clearance as per Forest (Conservation) Act, 1980 and also adhering to The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 read with provisions of Indian Forest Act, 1927.

79. Efforts should be made to reduce energy and fuel consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

VI. Land Reclaimation

80. Digital Survey of entire lease hold area/core zone using Satellite Remote Sensing survey shall be carried out atleast once in three years for monitoring land use pattern and report in 1:50,000 scale or as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MOEFCC) from time to time shall be submitted to MOEFCC/Regional Office (RO).

81. Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be handed over to the respective State Government, as specified in the Guidelines for Preparation of Mine Closure Plan, issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.

82. Regular monitoring of subsidence movement on the surface over and around the working areas and its impact on natural drainage pattern, water bodies, vegetation, structure, roads and surroundings shall be continued till movement ceases completely. In case of observation of any high rate of subsidence beyond the limit prescribed, appropriate effective mitigation measures shall be taken to avoid loss of life and materials. Cracks should be effectively plugged in with ballast and clay soil/suitable material.

83. Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i)and (ii)of subparagraph (8)of fly ash notification issued vide SO2804 (E)dated 3rd November, 2009asamended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, along with fly ash for external dump of overburden, backfilling or stowing of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.

84. A separate team for subsidence monitoring and surface mitigation measures shall be constituted and continuous monitoring & implementation of mitigation measures be carried out.

85. Thorough inspection of the mine lease area for any cracks developed at the surface due to mining activities below ground shall be carried out to prevent inrush of water in the mine.

86. Native tree species shall be selected and planted over areas affected by subsidence.

87. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

VII. Green belt

88. Plantation shall be carried out as per following table:

Sr. No.	Year from the start of production	Particulars	Area in Ha	No. of saplings	Amount	Responsibility	Remarks
1	First year	Forest land within lease area.	6.92	14000	Rs. 70 Lakh	DFO	@Rs. 500 per sapling including fencing & maintenance.
		In the adjoining forest area	--	2800	Rs. 14 Lakh	DFO	@Rs. 500 per sapling including fencing & maintenance.
		Distribution of fruit tree saplings in Basakhala &Thoda Village	--	5500	Rs. 05.50 Lakh	Gram Panchayat	@ Rs. 100 per sapling, 2 year age sapling including tree guard, manure, etc.
2	Second Year	Green belt	1.35	2025	Rs. 10.1 Lakh	JMS	@ Rs. 500 per sapling
		Distribution of fruit tree saplings in Thoda&Basakhali Village	--	5500	Rs. 05.50 Lakh	Gram Panchayat	@ Rs. 100 per sapling, 2 year age sapling including tree guard, manure, etc.
3	Third year	Top soil dump	0.55	825	Rs, 2.5 Lakh	JMS	@ Rs. 300 per sapling
		Plantation along the road within lease area and up to main road.	3.6 km	2400	Rs. 12 Lakh	JMS/Forest division	Rs. 500 per sapling, Single row @3 m distance
		Distribution of fruit tree saplings in Basakhali&Mauhari Village	--	5000	Rs. 05 Lakh	Gram Panchayat	@ Rs. 100 per sapling, 2 year age sapling including tree guard, manure, etc.

89. **Species for Plantation:**

- **Safety Zone:**Karanj, Neem, Jungle Jalebi, Mahua, Kachnar, Khamer etc.
- **Forest Area:**Katang Bans, Amla, Karanj, Khamer, Jungle Jalebi, Neem, Achar, Sal etc.
- **Along Road Side:** Neem, Jamun, Kahwa, Karanj, Jungle Jalebi, Khamer etc.
- **Distribution to villagers:** Jamun, Achar, Munga, Bans, Sagaun, Khamer & other tree species as per the wish of the villagers

90. The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered flora/fauna, if any, spotted/reported in the study area. Action plan, in this regard, if any, shall be prepared and implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department.

VIII. Public hearing and Human health issues

91. Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored.

92. The Project Proponent shall undertake Occupational Health survey for initial and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS Circulars. Besides carrying out regular periodic health check-up of their workers, 20% of the workers engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any.

93. Personnel (including outsourcing employees) working in dusty areas shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

94. Skill training as per safety norms specified by DGMS shall be provided to all work men including the out sourcing employees to ensure high safety standards in mines.

95. Effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated, sufficient supply of drinking water for all the persons employed.

96. Implementation of Action Plan on the issues raised during the Public Hearing shall be ensured. The Project Proponent shall undertake all the tasks as per the Action Plan submitted with budgetary provisions during the Public Hearing. Land ousters shall be compensated as per the norms laid out R&R Policy of the Company/ or the National R&R Policy/ R&R Policy of the State Government, as applicable

97. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.II(M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

IX. EMP & CER

98. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 12.85 crores as capital shall be spent in the first five years and Rs. 2.40 Crores as recurring cost will be spent for this project.

99. JMS proposes to undertake a number of activities under the Corporate Social Responsibility Initiative during the operation of Urtan (North) Coal Mining Project.

100. The capital CSR budget has been worked out as per the expressed felt needs of villagers during Rapid Rural Appraisal. The proposed total budget is to the extent Rs 04.55 Crores and will be spent in core and buffer villages of study area. The capital cost of 03.68 Crore for CSR activities shall be spent in the first five

production year of the project. About Rs 0.24 Crore would be spent as recurring expenditure per year for CSR activities. As per given below table:

Sr No.	Year (after commencement of production)	Head	Activity	Amount	Responsibility
1.	First year to fifth year	Wild life habitat development	Wild life habitat development and staff welfare at Bandhavgarh National Park	30.00 (@ Rs. 06 lakhs /year)	Through concerned Field Director.
1	1st to 5th year	Livelihood	Monetary assistance to SHG through ZP, Veterinary hospital, Training to Women SHGs	Rs. 68 Lakh	ZP
2	1st to 5th year	Education	Development of computer laboratory in High school, sports kit distribution, playground development, library, lab equipment, furniture, Books & stationary	Rs. 62 Lakh	Shikshak Palak Sangh
3	1st to 5th year	Infrastructure	Drinking water hand pump, Overhead tank for drinking water with pumping and bore well, deepening of village pond with beautification, grazing land development.	Rs. 100 Lakh	ZP, Gram Panchayat.
4	1st to 5th year	Health	Distribution of Sanitary pads at doorstep /schools through ANM / Anganwadi /women NGO to all girls & women's for minimum 05 years and other health awareness activities.	Rs. 51.00 Lakh	Through ANM / Anganwadi / women NGO
5	1st to 5th year	Health	Construction of community toilets, Well equipped Ambulance to PHC, Medical equipment in consultation with CMO, periodic health check up camps twice a year,	Rs. 57.2 Lakh	CMO
	Total			**Rs. 368.2 Lakh**	

101. In addition to the CSR, JMS proposes to undertake a number of activities as one time measure under the Corporate Environment Responsibility Initiative during the operation of Urtan (North) Coal Mining Project. A budgetary provision @1.5% of the Capital Cost, of Rs. 6.83 Cr is proposed to be made and utilized for the implementation of issues raised during the Public Hearing.

102. Fund allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September 2020 and consequent amendments based on commitment made during public consultation process for incorporating in EIA-EMP for deliberation of EAC

103. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environn1ental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

104. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

105. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

106. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

107. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two localnewspapers of the District or State, of which one shallbe in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

108. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

109. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

110. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

111. Theprojectproponentshallsubmittheenvironmentalstatementforeachfinancialyear in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

112. The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.

113. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

114. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

115. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change(MoEF&CC).

116. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

117. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

118. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

119. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/ information/monitoring reports.

120. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention &Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules,2016andthePublic Liability Insurance Act,1991along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

121. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(ब) मानक शर्ते

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस–पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।

5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।
8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।
9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।
10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।
11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।
12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू–टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।
13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/ गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये. उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।
15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/ठोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।
16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35^0 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।
17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
18. पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी–बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण

कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।

19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/ सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।

20. RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ–साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता–निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।

21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, S02, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।

22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता कों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।

23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाऐ और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जायें।

25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात प्री–मानसून (अप्रैल–मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट–मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रीत किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।

27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमे हुए समय–समय पर संशोधित

के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिचित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये। टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हा) की नियमित रूप से निगरानी की जाऐ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।

29. खनन कार्यो से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहतियाती उपायों को समय–समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।

30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।

32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।

34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यो हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवशयक एवं संबधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा

जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।

38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवशयक होगी।

42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।

44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।

47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय–समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड़ प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO2, NOx (एम्बिएंट स्तर के साथ–साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म–V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये।

28/3

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 3/28/2023 4:19:11 PM